दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

23.12.2024

वकील अपीलाण्ट उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी।

वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो कि एक अंतरिम आदेश है एवं अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पोषणीय है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2021(1) पेज 290 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 05.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2023 एक अंतरिम आदेश है जो दिनांक 16.06.2023 तक ही प्रभावी है। अतः उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश, जो केस डिसाईडेड की श्रेणी में नही आता है। अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध चाराजोही करते, उक्त अवसर का उपयोग किये बिना अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.11.2024 उनवानी बिलाल वगै0 बनाम गोरा व अन्य में एवं आरआरटी 2014(1) पेज 409 जगदीश बनाम भोपालाराम में मण्डल की वृहदपीठ के निर्णय पैरा संख्या 73 के बिन्दु संख्या 01 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 6439 दिनांक 06.08.2024 के पैरा संख्या 04 का उल्लेख करते हुये यह माना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अधीनस्थ न्यायालयों के इस प्रकार के प्रकरणो में सकारण उल्लेख किये बिना आगामी पेशी तक दिये गये विधिसम्मत अंतरिम आदेशो में अनावश्यक और अ–न्यायोचित रूप से हस्तक्षेप किया जाकर परीक्षण न्यायालय के स्थगन आदेशो को अपास्त कर दिया जाता है। इसके कारण परीक्षण न्यायालय के स्तर पर लम्बित मूल वाद में वादग्रस्त भूमि के खुर्द बुर्द होने व मूल वाद के गुणावगुण पर अंतिम निर्णय भी प्रभावित होने की संभावना रहती है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर